RNI No. MAHBIL/2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18.

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ४०] सोमवार, डिसेंबर ११, २०१७/अग्रहायण २०, शके १९३९ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ११ दिसंबर, २०१७ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशीत किया जाता है :—

L. A. BILL No. LX OF 2017.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC TRUSTS ACT.

विधानसभा का विधेयक क्र. ६०, सन् २०१७।

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम, में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का, सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिये महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा १० अक्तूबर, २०१७ को महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ प्रख्यापित किया गया था ।

सन् १९५० का २९।

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. २२।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक न्यास (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

(२) यह १० अक्तूबर, २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९५० का २९ की धारा ३६ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम ", कहा गया हैं) की धारा ३६ की, उप-धारा (५) में,—

(क) " न्यासीयों द्वारा न्यास संपत्ति का अंतरण " शब्दों के स्थान में, " महाराष्ट्र लोक न्यास (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७ के प्रारंभण के दिनांक से पूर्व न्यासीयों द्वारा प्रभावित न्यास संपत्ति का अंतरण " शब्द, कोष्टक और अंक रखे जायेंगे ; सन् १९५० का महा. २९।

(ख) निम्न **स्पष्टीकरण,** जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" **स्पष्टीकरण.—**उप-धारा (५) के प्रयोजनों के लिये, " पूर्त आयुक्त " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, केवल धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गये पूर्त आयुक्त से हैं । "।

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. २२ का निरसन तथा व्यावृत्ति ।

३. (१) महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता हैं । सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. २२ ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (सन् १९५० का २९) की धारा ३६ की उप-धारा (५), केवल उसमें उल्लिखित मामले में, न्यासीयों द्वारा न्यास संपत्ति के अंतरण को **कार्योत्तर** मंजूरी देने के पूर्त आयुक्त की शक्ति से संबंधित हैं । उक्त धारा ३६, की उप-धारा (५), महाराष्ट्र लोक न्यास (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ५५) द्वारा जोड़ी गयी है । सन् २०१७ का विधानसभा विधेयक क्र. ५९ (सन् २०१७ का उक्त महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ५५ के संबंध में) विचार-विमर्श के अनुसरण में, राज्य विधानमंडल में उसके पारित होने के दौरान, यह उपबंध करना इष्टकर समझा गया हैं कि, **कार्योत्तर** मंजूरी प्रदान करने की पूर्त आयुक्त की शक्ति, उक्त उप-धारा (५) के प्रारंभण के दिनांक से पूर्व प्रभावित न्यास संपत्ति के अंतरण के संव्यवहार करने के लिये सीमित होगी । अतः, इसलिये, उक्त उप-धारा (५) में यथोचितरित्या संशोधन करना इष्टकर समझा गया हैं ।

उक्त उप-धारा (५) के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये, यह भी उपबंध करना इष्टकर समझा गया हैं कि, ऐसी कार्योत्तर मंजूरी की शक्ति का निर्वहन केवल उक्त अधिनियम की धारा ३ के अधीन नियुक्त पूर्त आयुक्त द्वारा ही किया जाये ।

२. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितीयाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हे, उपरोक्त प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (सन् १९५० का २९), में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. २२), १० अक्तूबर, २०१७ को प्रख्यापित किया गया था ।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है ।

मुंबई,
दिनांकित १८ नवम्बर, २०१७।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांकित ११ दिसंबर, २०१७।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004.
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.